संख्या -54/सीपी 365/84-2-2013-सीपी 7/2011

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2013

विषय श्रीमती शशि दुबे, कनिष्ठ लिपिक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके प्रेगनेन्सी के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2022/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 35/12, दिनांक 29 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में आपके उक्त पत्र के साथ संलग्न श्रीमती शशि दुबे, कनिष्ठ लिपिक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किये गये अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं बिल बाउचर सहित उक्त पत्र को मूल रूप में वापस करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र/बिल बाउचर का परीक्षण सरकारी चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी से कराते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में निर्धारित प्रारूप "ग" पर प्रस्तुत किये गये दावे सम्बन्धी पत्र भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in